शक्तियां एवं कृत्यः

प्रायः नगरपालिकाओं के परम्परागत कृत्यों में शहर की जलापूर्ति, सफाई, मल निकासी राहत कार्यो की गणना होती है । विकास की गति के साथ–साथ यह कृत्य बढते जा रहे है । संविधान के अनुच्छेद 243–ए नगरपालिका अधिनियम की धाराएं 47 व 48 नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं कृत्यों का उल्लेख करती है । संविधान के अनुच्छेद 243 के साथ गठित संविधान की अनुसूची–XII में उन सभी विषयों का उल्लेख है जिनके बारे में राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान कर सकती है । संविधान के अनुच्छेद 243– के उपबन्ध आदेशात्मक नही है । यह राज्य विधान मण्डल ने निर्णय लेने है कि कौन–कौन सी शक्तियां और प्राधिकार किस नगरपालिका को सौपे जाएं । ऐसी व्यवस्था करते समय संविधान की अनुसूची – XII के किसी विषय को निकाल व उसमें किसी विषय को जोडा जा सकता है । ऐसा करते समय नगरपालिका की प्रबन्धकीय, तकनीकी तथा वित्तीय सामर्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है । नगरीय स्थानीय प्रशासन, नगरपालिकाओं निहित है । नगरपालिका अधिनियम की धारा 48 में उपबन्धित है कि उन विषयों के बारे में (जिनका संविधान की अनुसूची – XII में भी उल्लेख है) राज्य सरकार नगरपालिकाओं को शक्तियां प्रदान करेगी । नगरपालिकाओं के मामले में तीन मास की भीतर अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है । जब तक उक्त कृत्यों के अनुपालन हेतु समुचित कार्यकारिणी व वित्तीय संसाणन उपलब्ध नही कराये जाये तब तक इन कृत्यों का निर्वहन होना आसान नही हो सकता ओर शक्तियों एवं कृत्यों के अन्तरण transfer तथ्य विकेन्द्रीयकरण की बात करना सार्थ नही होगा । कृत्यों में वृद्वि करना ही पर्याप्त नही है अपितु उत्तरदायित्व निभाने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ–साथ प्रशासन चलाने के लिए अनुभवी तथा विशेषज्ञ सेवाए भी उपलब्ध कराना परमाश्यक है ।